कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) को साथ पठित धारा 143(6) (ख) के तहत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129 (4) को साथ पठित धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 129 (4) को साथ पठित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 28 मई, 2021 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट रिपोर्ट में व्यक्त है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129 (4) को साथ पठित धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने आरईसी लिमिटेड, आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड, दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड, कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड और मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है, किंतु उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अनुबंध में सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपर्स की पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकॉर्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ ऐसा महत्त्वपूर्ण बिन्दु नहीं आया है जिसके कारण अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक टिप्पणी की जानी आवश्यक हो।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से

(डी. के. सेकर)
लेखा परीक्षा के महानिदेशक (एनर्जी),
दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 जुलाई 2021

<u>अनुबंध</u>

आरईसी लिमिटेड की सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की सूची जिनके वित्तीय विवरणों की भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई थी

(क) सहयोगी कंपनियां:

1. बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
2. फतेहगढ़ भादला ट्रांस्को लिमिटेड
3. गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड
4. कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड
5. एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–I लिमिटेड
6. एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–II लिमिटेड
7. राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
8. सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड

(ख) संयुक्त उद्यम:

1. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड